आवंटन आदेश संख्या–2/स्कीम–02–13/2026 श्र०सं०– /पटना, दिनाक .....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

सेवा में,

अवर सचिव,
– सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–01–श्रम, लघु शीर्ष–101–औद्योगिक संबंध, उपशीर्ष–0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष–0109–52–01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय, मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26–2230011010109 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आवासीय कार्यालय प्रयोजनार्थ GeM Portal के माध्यम से क्रय किये गये Electronic उपकरणों के भुगतान हेतु सभी कर सहित कुल ₹2,37,383/– (दो लाख सैतीस हजार तीन सौ तिरासी रूपये) मात्र की निधि का आवंटन।

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक 217 दिनाक 08/10/26

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 96 वि० (2) दिनाक 03.01.2008 तथा वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2190/वि० (2) दिनांक 17.03.2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–01–श्रम, लघु शीर्ष–101–औद्योगिक संबंध, उपशीर्ष–0109–कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष–0109–52–01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय, मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26–2230011010109 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आवासीय कार्यालय प्रयोजनार्थ GeM Portal के माध्यम से क्रय किये गये 01 अद्द All in One Computer के भुगतान हेतु ₹1,37,280/–, 01 अद्द Multifunctional Printer के भुगतान हेतु ₹63,333/–, 01 अद्द Color Printer के भुगतान हेतु ₹31,020/– तथा 01 अद्द UPS के भुगतान हेतु ₹5,750/– अर्थात् कुल मिलाकर ₹2,37,383/– (दो लाख सैतीस हजार तीन सौ तिरासी रूपये) मात्र की निधि का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. इस राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2561/वि० (2) दिनाक 17.04.1998 में निहित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि इस आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमितता होगी एवं सम्पूर्ण जबावदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।

4. आवंटित किये गये राशि में GST सहित सभी करों की राशि शामिल है।

5. इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह राशि आवंटित की जा रही है।

6. निकासी की गयी राशि का व्यय प्रतिवेदन इकाईवार कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय, ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना से लेखा सत्यापन किया जा सके।

7. स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सचिका संख्या–2/स्कीम–02–13/2026 श्र०सं० के पृष्ठ संख्या–03/टि० पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह०/–
(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या–2/स्कीम–02–13/2026 श्र०सं०– /पटना, दिनाक .....

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या–2/स्कीम–02–13/2026 श्र०सं०– 03 /पटना, दिनाक 08/10/26

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (क्रय), सरकार पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०–225, दिनांक–05.08.2026 के आलोक में/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/लेखा शाखा, सरकार पक्ष (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/10/2026
(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।